संख्या-6/1/2/2001-का-प्रसको/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2013

विषयः-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, 'मा. विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल' विषय को सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 8.10.2001, दिनांक 14.11.2002, दिनांक 4.7.2003, दिनांक 23.4.2007 एवं दिनांक 22.10.2007 के क्रम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, 'मा. विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल' विषय को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों/प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त विषय सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1/2/2001(1)-का-प्रसको/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिप, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ।
2. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
3. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in